कांग्रेस अध्यक्ष के भाषण का प्रमुख अंश
अखिल भारतीय महिला कांग्रेस का आदिवासी महिला सम्मेलन
24, अकबर रोड, नई दिल्ली– 16 दिसम्बर, 2011

मैं महिला कांग्रेस को बधाई देती हूं, कि उसने अलग–अलग राज्यों से आदिवासी समाज की हमारी बहनों का यह सम्मेलन आयोजित किया। मैं अच्छी तरह जानती हूं, कि आपकी जीवन–यात्रा कितनी मुश्किल रही है, आपको कितनी कठिनाइयां झेलनी पड़ी हैं और अपनी रोज़–मर्रा की ज़िंदगी में आपको कितनी बाधाएं पार करनी पड़ती हैं। यह कांग्रेस के लिए गर्व की बात है, कि आपने देश और अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग का हाथ बढ़ाया है।

आज़ादी के बाद से ही कांग्रेस पार्टी आदिवासी लोगों के लिए, मज़बूती से वचन–बद्ध रही है। इंदिरा जी के नेतृत्व में आदिवासी समुदायों के लिए नये–नये कार्यक्रम और योजनाएं लागू की गयीं और मुझे अच्छी तरह मालूम है, कि तमाम आदिवासी घरों में आज भी इंदिरा जी बड़े प्यार के साथ याद की जाती हैं। राजीव जी की दृष्टि और संकल्प ने गांवों में पंचायत–राज की क्रांति ला दी और आज ग्राम–पंचायतों और ज़िला परिषदों में हज़ारों आदिवासी महिलाएं नेतृत्व कर रही हैं और अपनी आवाज़ बुलंद कर रही हैं।

कांग्रेस के नेतृत्व में केंद्र की यूपीए सरकार ने हमारे नेताओं से मिली इस विरासत को आगे बढ़ाया है। National Rural Livelihood मिशन के ज़रिए, जिसे अब 'आजीविका' कहा जाता है, हम सारे देश में ग्रामीण महिलाओं को स्वयं–सहायता समूहों के ज़रिए संगठित कर रहे हैं और इन्हें बैंकों से जोड़ रहे हैं। मैंने कुछ प्रदेशों में खुद देखा है, कि इन 'स्वयं–सहायता समूहों' ने किस तरह महिलाओं को जीविका के मौक़े दिलाए हैं, उनका आत्म–विश्वास और ताक़त बढ़ाया है। शिक्षा के क्षेत्र में आदिवासी लड़कियों और लड़कों को स्कूलों और कॉलेजों में वज़ीफे दिए जा रहे हैं, कोचिंग और ट्रेनिंग सुविधा के साथ आश्रम स्कूल खुल रहे हैं। महात्मा गांधी नरेगा जैसे कार्यक्रमों के ज़रिए उस ज़मीन को और अधिक उपजाऊ बनाने पर ज़ोर दिया जा रहा है, जिसके मालिक आदिवासी समुदाय के लोग हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसे कार्यक्रमों से उन जगहों को जोड़ा जा रहा है, जहां आदिवासी रहते हैं।

बहुत से राज्यों में आदिवासी समुदाय जंगलों में रहते हैं। इसीलिए हमारी केंद्र सरकार ने दो हज़ार छः में बेमिसाल वन–अधिकार कानून संसद् में पास कराया। अब जंगलों में रहने वाले आदिवासी परिवारों को पट्टे दिए जा रहे हैं, जिससे वे उस ज़मीन के मालिक बनें, जो पहले से उनके पास है।

आदिवासी इलाक़े खनिज संपदा के मामले में बहुत संपन्न हैं। लेकिन इन संसाधनों का इस्तेमाल इस तरीक़े से होना चाहिए, जिससे आदिवासियों की ज़मीन का सत्यानाश न हो और उनकी जीविका न छीनी जाए। हमारी केंद्र सरकार एक ऐसा कानून बना रही है, जिससे खनिज संपदा का विकास हो और उसका फ़ायदा ज़्यादा ठोस ढंग से आदिवासी समुदायों को हो और रोज़गार में युवाओं को प्राथमिकता मिले। यह जो मैंने कहा वह तो सिर्फ़ कुछ मिसालें ही हैं। आदिवासी मामलों के मंत्री डॉ0 किशोरचन्द्र देव आपके बीच आने वाले हैं, वह ऐसी तमाम योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में विस्तार से आप सबको जानकारी देंगे।

महिला कांग्रेस और आप सबकी ज़िम्मेदारी बनती है, कि हमारी तमाम इन सारी योजनाओं की जानकारी ज़िला और ब्लॉक तक, लोगों को कराएं और उनका इस तरह मार्गदर्शन करें, कि इनका लाभ किस तरह उठा सकते हैं और, जहां–जहां यह योजनाएं लागू नहीं हो रही हैं, वहां आंदोलन भी करें।

हम जानते हैं, कि देश के अनेक ज़िलों में जहां आदिवासियों की अच्छी–खासी तादाद है, वहां Left-Wing Extremism हैं। हम ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों को बेहतर ढंग से लागू करके ही इन्हें पराजित कर सकते हैं। केंद्र और राज्य सरकारों––– दोनों का ही यह मौलिक और संवैधानिक दायित्व है, कि इन आदिवासी इलाक़ों में वे अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करें। मुझे लगता है, कि अगर हम यह कर सके, तो आज जिन्होंने हिंसा की संस्कृति अपना रखी है, उन्हें हम लोकतांत्रिक मूल–धारा में वापस ला सकेंगे।

आदिवासी समुदाय, हमारी अनेकता की शानदार परंपरा के प्रतिनिधि हैं। आज सवाल युगों पुरानी उस आदिवासी परंपरा को सिर्फ़ सुरक्षित और संजो कर रखने का नहीं है, जिसने हमारे समाज को सदियों से समृद्ध बनाया है। बल्कि सवाल यह है, कि इन आदिवासी समुदायों को फलने–फूलने के नये अवसर मिलें, आदिवासी युवाओं को शिक्षा, आधुनिक कौशल और आर्थिक विकास का पूरा लाभ मिले, इस दिशा में हमें लगातार संघर्ष करते रहना है।

कांग्रेस पार्टी की आदिवासी भाइयों और बहनों के साथ एक लंबा और पुराना अपनेपन का रिश्ता है। अब हम सबकी यह ज़िम्मेदारी है, कि ख़ास तौर से नई पीढ़ी की इच्छाओं और आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, इस रिश्ते को और आगे बढ़ाएं। मैं समझती हूं, कि यह सम्मेलन इस दिशा में एक अच्छा क़दम है।